राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर
वित्त भवन, जनपथ जयपुर

क्रमांक :– एफ.10(एपीएआर)(सलेअ ग्रेड–I)(अचल सम्पत्ति)2020/77 दिनांकः– 20/5/2020

परिपत्र

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/ क–1/ गो.प्र./2011 दिनांक 06.05.2020 के द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2019 (1 जनवरी 2020 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID में लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के IPR MODULE में स्वयं अधिकारी द्वारा आन लाइन पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसलिए राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2020 के अनुसरण में अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु **समयावधि 31 मई 2020 तक की गई है** । जिन सहायक लेखाधिकारियों ग्रेड–प्रथम द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम इस अवधि में ऑन–लाइन संशोधित IPR भर सकेंगें ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध है कि जब तक आपके विभाग/कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID में लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर के IPR MODULE द्वारा भर नहीं दिया जावें तब तक इनकी वेतन वृद्दि पर विचार नही किया जावें ।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.10(एपीएआर)(सलेअ ग्रेड–I)(अचल सम्पत्ति)2020/78-84 दिनांकः– 20/5/2020
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी ....कार्यालय को प्रेषित है ।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
4. एसीपी उप निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को परिपत्र विभाग की वेबसाईट पर जारी करने हेतु ।
5. सहायक निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा ।
6. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को पालनार्थ प्रेषित है ।
7. रक्षित पत्रावली

अति0 निदेशक (कार्मिक–प्रथम)

RB